

# मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2010 (श्रावण 5, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का 47 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.
- (2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.
- (3) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का पंचम् वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.
- (4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) डॉ. निशिथ पटेल, श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, उमरिया जिले के ग्राम कुचवाही स्थित आदिवासी की भूमि की अवैध बिक्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) सर्वश्री राधेलाल बघेल, मनीराम धाकड़, परसराम मुद्गल, सदस्य, रीवा जिले के अतरैला थानान्तर्गत डीजल/पेट्रोल की अवैध दुकान में आग लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (3) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र के अनेक ग्रामों की नलजल योजनाएं अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पौध तैयार करने हेतु दी गई राशि का दुरुपयोग किये जाने की ओर उद्यानिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 4. लोक लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2010-2011 की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

## 5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति का 77 वां से 88 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

## 6. यचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के -
  - (क) तहसील रामपुर बघेलान में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,
  - (ख) तहसील रामपुर बघेलान की जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूलों में उन्नयन किये जाने,
  - (ग) तहसील रामपुर बघेलान के ग्राम खाम्हा एवं ढोढी के बीच टमस नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
  - (घ) तहसील रामपुर बघेलान में कृषि उपज मंडी खोले जाने, तथा
  - (ङ) भोपाल शहर के वार्ड नम्बर 58 समन्वय कालोनी में हैण्डपंप खनन किये जाने,
- (2) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य, सतना जिले के -
  - (क) विकासखण्ड रामनगर के न्यू मिरगौती से पुरानी मिरगौती तक सड़क बनाये जाने,
  - (ख) विकासखण्ड अमरपाटन के ग्राम-मुकुन्दपुर एवं रैकवार में पशु औषधालय खोले जाने,
  - (ग) विकासखण्ड रामनगर के ग्राम-देवदहा व भरतपुर में ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने,
  - (घ) विकासखण्ड अमरपाटन में पार्क एवं बस स्टैण्ड निर्माण किये जाने, तथा
  - (ङ) विकासखण्ड अमरपाटन की शासकीय हाईस्कूल करही को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

- (क) विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम गोघटपुर की हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (ख) कन्या प्राथमिक विद्यालय सोमवरिया बल्डी खिलचीपुर को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
- (ग) ग्राम पंचायत गागोरनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
- (घ) ग्राम पंचायत-गागोरनी की शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय को कन्या माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
- (ङ) ग्राम-गांगोरनी हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(4) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

- (क) विकासखण्ड साईखेडा के ग्राम नांदनेर की हायर सेकेण्ड्री स्कूल में विज्ञान संकाय खोले जाने, तथा
- (ख) विकासखण्ड चीचली की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने,

(5) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले के -

- (क) ग्राम पंचायत निवारी के ग्राम-हररई तक सड़क बनाये जाने,
- (ख) शहर के वार्ड नम्बर 30 स्थित खुले नाले को ढकवाये जाने, तथा
- (ग) ग्राम पराचौकी से रसोईया भाटन तक सड़क बनाये जाने,
- (घ) ग्राम ढडारी की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ङ) ग्राम पंचायत वरामच खेरा की शासकीय माध्यमिक शाला के हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (च) ग्राम पंचायत निवारी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (छ) शहर स्थित सातरी तलैया को बंद किये जाने के संबंध में,
- (ज) ग्राम पंचायत कोरतपुरा में शासकीय माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (झ) ग्राम पंचायत वंधीकला की शासकीय माध्यमिक स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ञ) ग्राम पुंददी की शासकीय माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ट) ग्राम पंचायत छपर की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ठ) ग्राम अतनियां की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ड) ग्राम तलवापुरवा में प्राईमरी स्कूल खोले जाने, तथा
- (ढ) ग्राम गडरियनपुरवा में प्रायमरी स्कूल खोले जाने,

(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के -

- (क) विकासखण्ड राहतगंज के ग्राम खाकरोन में स्थित नदी के दोनों ओर घाट एवं पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,
- (ख) आनंदनगर ग्राम पंचायत रजाखेड़ी में नालियों का निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम पामाखेड़ी में नल-जल योजना प्रारंभ किये जाने,
- (घ) ग्राम पामाखेड़ी की शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (ङ) ग्राम पंचायत ढाना में विद्युत सब-स्टेशन एवं स्टाप डेम बनाये जाने,

(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के -

- (क) ग्राम रिच्छा बच्चा के देवनारायण मंदिर में हैण्डपंप खनन एवं सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम रेवास देवड़ा में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम रेवास देवड़ा में सार्वजनिक महिला शौचालय का निर्माण किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम लखमाखेड़ी से महादेव मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(8) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

- (क) ग्राम करेडी हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (ख) ग्राम भुमरिया की माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम खोखेडा की माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(9) श्रीमती शशि ठाकुर (मरावी), सदस्य, सिवनी जिले के -

- (क) विकासखण्ड घनसौर की माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
- (ख) विकासखण्ड लखनादौन की हायर सेकेण्ड्री स्कूल धूम एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण किये जाने,

(10) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

- (क) ग्राम नयाखेरा की जामुनी नदी पर उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) नगर पंचायत कारी से हीरा नगर तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(11) कुं. विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा, सदस्य, पन्ना जिले के नेशनल हाईवे खजुराहो, चित्रकूट, बनारस रोड पर चंदला से नेहरा तक सड़क निर्माण किये जाने,

(12) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा शहर में स्थित ईदगाह दरवाजे से तालनाके तक सड़क निर्माण किये जाने,

(13) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के नईगढ़ी के वार्ड क्र.-11 में हैण्डपंप खनन किये जाने,

- (14) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के -  
(क) ग्राम पंचायत सलैया की शासकीय प्राथमिक शाला के पूर्व माध्यमिक शाला उन्नयन किये जाने, तथा  
(ख) गंगैव विकासखण्ड की शासकीय प्राथमिक शाला अठभईयन टोला को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने, तथा
- (15) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले के -  
(क) नगर के वार्ड क्रमांक 12 में स्थित 19 ब्लॉक, मोहन नगर में हैण्डपंप खनन एवं स्ट्रीट लाईट लगाई जाने, तथा  
(ख) नगर के वार्ड क्रमांक 12 मोहन नगर बिरयाखेड़ी चौराहे पर हैण्डपंप खनन कराये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

#### 7. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 23 नवम्बर, 2009 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 118 (क्रमांक 2067) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

#### 8. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित  
समय

#### 9. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 77 तथा 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार तीन सौ सत्तर करोड़, तेरह लाख, छिहत्तर हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

3 घन्टे

#### 10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) का \*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा  
30 मि.  
(शेष  
30 मि.)

#### 11. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

भोपाल :  
दिनांक : 26 जुलाई, 2010

डॉ. ए.के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

\*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.